राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त विभाग

क्रमांकः प.18(25)नविवि/2026 पार्ट–10–17257 जयपुर, दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षर

10 AUG 2026

आदेश

विषयः– शहरों के अन्दर के राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग व अन्य सड़कों के मार्गाधिकार पुनः निर्धारण कर पट्टे देने के संबंध में।

कई शहरों में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के बाई पास बन गये हैं, जिससे शहर के अन्दर के राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग उस शहर की अन्य सड़कों की तरह नगरीय सड़कों की श्रेणी में शामिल हो गये है और अब ये राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के रूप में नहीं रहे हैं। ऐसी अन्दर की सड़कों की चौड़ाई राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के आधार पर या उससे अधिक मास्टर प्लान में रखी गई है, जबकि उनके दोनों तरफ निर्माण हो गया है। राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के इस भाग में पूर्व मार्गाधिकार में आ रही भूमि वर्तमान में निजी खातेदारी अथवा संबंधित नगरीय निकाय के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में इन सडकों के केवल उक्त भाग में जहां विकास समिति/सुओमोटो की योजनाऐं अनुमोदित है तथा अन्य निजी खातेदारी की भूमि/अन्य भूमि पर पूर्व कमिटमेंट नहीं है, की स्थिति में ही उक्त भाग के मार्गाधिकार/अलाईनमेंट का पुनः निर्धारण कर पट्टे दिये जाने हेतु निम्न कार्यवाही की जावेः–

1. सड़कों के मार्गाधिकार का पुनः निर्धारण स्थानीय एम्पावर्ड समिति द्वारा किया जायेगा।
2. मास्टर प्लान में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के मार्गाधिकार भारत सरकार द्वारा जारी मापदण्ड़ों के क्रम में प्रस्तावित किये जाते है एवं इन सड़कों का डी–नोटिफिकेशन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अतः इन सड़कों के मार्गाधिकार में संशोधन किये जाने पर मास्टर प्लान का संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
3. पुनः निर्धारित मार्गाधिकार के अनुसार ही योजनाओं/भूखण्डों का अनुमोदन/नियमन किया जा सकेगा।
4. जिन कालोनियों यथा विकास समिति/सुओमोटो की योजनाओं का पूर्व में नियमन राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग की सीमा को छोड़ते हुए किया गया है, जिससे कई भूखण्डों का नियमन नहीं हो सका है या आंशिक भाग का नियमन हुआ है तो पुनः अन्य निर्धारित मार्गाधिकार के अनुसार भूखण्डों के पट्टे दिये जा सकेंगे या पट्टों के क्षेत्रफल में संशोधन किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में पूर्व समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र का मार्गाधिकार अथवा सुओमोटो के समय किये गये सर्वे में अंकित सड़क मार्गाधिकार जो भी अधिक हो, कायम किया जाना अनिवार्य होगा।

ऐसे प्रकरणों में यदि सड़क मार्गाधिकार एवं प्रस्तावित भूखण्ड़ के मध्य राजकीय भूमि प्रस्तावित होती है अथवा अतिरिक्त भूमि शेष रहती है, तो उक्त भूमि को सड़क मार्गाधिकार का भाग माना जावेगा।

5. सूओमॉटो 90ए के अर्न्तगत विकास समिति के पूर्व अनुमोदित ले–आउट प्लान जिनमें वर्तमान में निर्माण बस चुका है, ऐसे प्रकरणों में नवीन सड़क मार्गाधिकार के अनुरूप मानचित्र संशोधित करते हुए अधिकतम विक्रय योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत तक ही अनुज्ञेय करते हुए पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
6. जिन योजनाओं/कॉलोनियों के रास्ते में मार्गाधिकार की छूट के साथ कुछ भूखंडों के पट्टे जारी हो गये है तथा कुछ भूखंडों के पट्टे जारी नहीं हुये है, उन योजनाओं/कॉलोनियों में शेष रहे भूखंडों को भी मार्गाधिकार की छूट देते हुये प्राथमिकता से पट्टे जारी किये जावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

10/8/26

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम,
नगरीय विकास विभाग

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
6. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, समस्त राजस्थान ।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार,जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एन.सी.आर./स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
11. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान ।
13. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. नविवि, स्वा.शा. एवं हाउसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारीगण, राजस्थान ।
15. जनसम्पर्क अधिकारी, नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
16. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.सैल, नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
17. रक्षित पत्रावली।

10/8/26

उप शासन सचिव– प्रथम